भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2473
सोमवार, 18 दिसंबर, 2023 / 27 अग्रहायण, 1945 (शक)

कॉमन सर्विस सेंटर और आधार केंद्रों की संख्या

2473. श्री भोलानाथ (बी.पी. सरोज):

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई-श्रम पंजीकरण के लिए उपलब्ध कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और आधार केन्द्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और शहर-वार ब्यौरा क्या है और इनकी कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना और विकलांगता बीमा सिर्फ एक वर्ष के लिए है और यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना को बढ़ाने की योजना बना रही है; और

(ग) ई-श्रम पंजीकरण का लाभ प्राप्त करने वाले श्रमिकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा एवं कुल संख्या अनुबंध-I में दी गई है। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का जिला/शहर-वार ब्यौरा एंव संख्या सार्वजनिक डोमिन (https://findmycsc.nic.in/csc/) में उपलब्ध है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम पोर्टल पर 31 मार्च, 2022 तक पंजीकृत सभी असंगठित कामगरों को आकस्मिक मृत्यु/विकलांगता कवर प्रदान करने का दिशा निर्देश दिया है।

दिनांक 11.12.2023 की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की संख्या 29.22 करोड़ है और इसका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

**

******

अनुबंध - I

कॉमन सर्विस सेंटर और आधार केंद्रों की संख्या के संबंध में 18.12.2023 के लिए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2473 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और नगर-वार संख्या निम्नानुसार है:

क्रं सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीएससी की कुल संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	89
2	आंध्र प्रदेश	12,184
3	अरुणाचल प्रदेश	251
4	असम	14,385
5	बिहार	59,487
6	चंडीगढ़	128
7	छत्तीसगढ	21,434
8	दादरा व नगर हवेली एवं दमन और दीव	128
9	दिल्ली	4,272
10	गोवा	276
11	गुजरात	16,484
12	हरयाणा	21,364
13	हिमाचल प्रदेश	6,181
14	जम्मू और कश्मीर	6,909
15	झारखंड	23,718
16	कर्नाटक	10,977
17	केरल	8,905
18	लद्दाख	60
19	लक्षद्वीप	16
20	मध्य प्रदेश	42,076
21	महाराष्ट्र	58,080
22	मणिपुर	892
23	मेघालय	1,131
24	मिजोरम	512
25	नागालैंड	542
26	ओडिशा	19,602
27	पुदुचेरी	313
28	पंजाब	11,524
29	राजस्थान	23,071
30	सिक्किम	160
31	तमिलनाडु	17,164
32	तेलंगाना	7,649
33	त्रिपुरा	2,462
34	उतार प्रदेश।	1,28,629
35	उत्तराखंड	10,069
36	पश्चिम बंगाल	27,281

स्त्रोत: सीएससी

कॉमन सर्विस सेंटर और आधार केंद्र की संख्या के संबंध में 18.12.2023 के लिए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2473 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-II

ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या निम्नानुसार है:

क्रं सं.	राज्य	कुल पंजीकरण (दिनांक 11.12.2023 तक की स्थिति के अनुसार)
1	उत्तर प्रदेश	8,31,92,358
2	ओडिशा	1,33,64,767
3	छत्तीसगढ	83,72,061
4	उत्तराखंड	30,01,409
5	पश्चिम बंगाल	2,61,54,561
6	हिमाचल प्रदेश	19,48,208
7	जम्मू एवं कश्मीर	34,23,418
8	झारखंड	92,68,884
9	बिहार	2,88,70,018
10	त्रिपुरा	8,60,147
11	मध्य प्रदेश	1,73,71,694
12	असम	70,97,706
13	हरियाणा	52,85,556
14	पंजाब	55,61,743
15	गुजरात	1,14,83,768
16	दिल्ली	33,19,576
17	केरल	59,34,560
18	राजस्थान	1,33,07,533
19	चंडीगढ़	1,76,857
20	आंध्र प्रदेश	80,41,110
21	मणिपुर	4,23,364
22	पुदुचेरी	1,83,298
23	दादरा व नगर हवेली एवं दमन और दीव	73,415
24	कर्नाटक	78,28,723
25	महाराष्ट्र	1,39,62,565
26	तेलंगाना	42,88,708
27	तमिलनाडु	85,44,078
28	लद्दाख	31,610
29	नागालैंड	2,20,851
30	अरुणाचल प्रदेश	1,45,083
31	मेघालय	3,09,181
32	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	30,426
33	सिक्किम	36,525
34	मिजोरम	63,075
35	गोवा	65,508
36	लक्षद्वीप	2,504
कुल		**29,22,44,848**

******